# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/एफ14(Road)/2016/एफसीए/प्रमुवसं/ 3301 दिनांकः 18-9-17

निमित्त : अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षैत्र पंचम तल, केन्द्रीय भवन सेक्टर एच
अलीगंज, लखनउ।

विषय :– **Diversion of 2.1 ha. Of forest land in favor of Executive Engineer, Rajasthan Agriculture Marketing Board, Division Tonk for Construction of missing link (Dooni anwa road to Chandeli Mata ji temple). Under Forest Tonk, District Tonk state of Rajasthan –reg. Online Proposal No. FP/RJ/Road/14903/2015**

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक **8B/Raj/06/43/2015/FC/1472** दिनांक **16.03.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रस्ताव में यूजर ऐजेन्सी/उप वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक से प्राप्त सूचना के आधार पर बिन्दुवार पालना निम्नानुसार प्रस्तुत है।

| क्रमांक | आक्षेप का विवरण | पालना |
|---|---|---|
| 1 | It was specially mentioned in our letter no **8B/Raj/06/43/2015/FC/1123 dated 29.12.2015** of this office that FRA certificate has been submitted for the CA area instead of forest area proposed for diversion. In reply, without reading the content DCF has written that FRA certificate has already been submitted.<br>FRA certificate has been submitted for 2.1 Hac. of khasra no. 182 of gram Panchayat Bishanpura, Panchayat Rajkot and the details of this land pertain to the Non forest land which s being transferred to the Forest Department. FRA certificate is to be submitted for forest land. | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्ताव के पार्ट । के बिन्दु संख्या के0 में अपलोड कर दिया गया है। हार्ड प्रति संलग्न है। |
| 2 | The territorial DCF has informed that the matter is still pending. The present status of issue has not been clearified. In absence of which decision cannot be taken. | प्रकरण में क्षैत्रीय वन अधिकारी देवली को सक्षम अधिकारी के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 6197–6202 दिनांक 21.7.2015 निलम्बित किया गया था। जांच में आरोपो की पुष्टि नही होने के कारण क्षैत्रीय वन अधिकारी देवली को दोषमुक्त कर मुख्य वन संरक्षक अजमेर के आदेश संख्या 7163–68 दिनांक 24.09.2015 द्वारा बहाल किया जा चुका है। प्रकरण में जांच पूर्ण की जा चुकी है। |
| 3 | Site inspection report has been submitted by territorial DCF. In addition to previously reported violation, the DCF has further the width of the road/path has been widned to approximate 25 feet from the earlier | प्रकरण में सहायक वन संरक्षक देवली द्वारा स्थान का निरीक्षण कर वन भूमि में हुए नुकसान का ऑकलन तथा निर्माण किये गये पक्के कार्यो का ब्यौरा रिपोर्ट 18.8.2015 द्वारा प्रस्तुत की गई है। |

| | | |
|---|---|---|
| | width of 12 feet and for this purpose the required soil has been excavated from adjoining forest area. This is additional violation of provision of FCA 1980. The DCF has not mentioned anything about action taken of soil from adjoing forest area, by the user agency. | प्रयोक्ता अभिकरण के अवैध रूप से मिट्टी हटाई जाने की एवजाना राशि 46200.00 जरिये रसीद संख्या 20/5 जरिये चालान 0011029786 दिनांक 31.5.2016 को जमा करा दिया गया है। |
| 4 | Certificate of Executive Engineer has been submitted which does not serve the purpose as it does not provide any documentary proof of the period during which the said road has been constructed. | संबंधित पटवारी एवं सरपंच ग्राम पंचायत चांदली द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त वनखण्ड आंवा की पत्रावली संलग्न की गई है जिसमें चांदली आंवा मार्ग के विवरण में आने जाने का रास्ता 12 फुट दिया गया है। अतः उक्त दस्तावेजों से पुष्टि होता है कि उक्त रास्ता 1980 से पूर्व में प्रचलन में था। |
| 5 | Enquiry of CCF is still pending, even after more than 6 month the outcome of this enqiry should be conveyed to this office, in absence of enquiry report, no decision can be taken | क्षैत्रीय वन अधिकारी देवली (टोंक) एवं श्री प्रभू लाल शर्मा वनपाल नाका आवां के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1958 के नियम 17 में आरोप पत्र एवं अभिकथन पत्र प्रस्तावित किये गये थे जो कि मुख्य वन संरक्षक अजमेर कार्यालय द्वारा उप वन संरक्षक टोंक को प्रेषित कर प्रकरण के संबंध में कार्यवाही कर निर्णय से मुख्य वन संरक्षक को अवगत कराने हेतु कहा गया उप वन संरक्षक टोंक के आदेश दिनांक 11.4.2017 के द्वारा क्षैत्रीय वन अधिकारी श्री रघुवीर सिंह के विरूद्व लगाये गये आरोप निरस्त किये गये एवं जांच नत्थीवद्व की गई श्री प्रभू लाल शर्मा वनपाल सेवानिवृत हो चुके है। |

संलग्न : हार्ड प्रति 1 किता

भवदीय

(ए0 के0 सिंह)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ0सी0ए0
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/एफ/सम
दिनांक/

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव (वन) शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. उप वन संरक्षक, टोंक
4. अधिशासी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड टोंक (राज0)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, एफ0सी0ए0
राजस्थान, जयपुर।